logy, Delhi, for the year 1982-83 along with Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Indian Institute of Technology, Delhi, for the year 1982-83.

[Placed in Library. *See* No. LT-7201/83]

Annual Report of the Indian Nursing Council, New Delhi and review by the Government

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI) : I beg to lay on the Table :-

(1) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the Indian Nursing Council, New Delhi, for the year 1982-83 along with Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Indian Nursing Council, New Delhi, for the year 1982-83.

[Placed in Library. *See* No. LT-7202/83]

12.27 hrs.

SUPPLEMENTARY DEMAND FOR GRANT (RAILWAYS)

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI A.B.A. GHANI KHAN CHAUDHURI) : Sir, I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Supplementary Demand for Grant in respect of the Budget (Railways) for 1983-84.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported heavy loss of life, property and crops in Andhra Pradesh, Orissa and some other parts due to recent cyclone, flood and drought and relief measures taken in regard thereto

SHRI KAMALUDDIN AHMED (Warrangal) : Sir, I call the attention of the Minister of Agriculture to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"Reported heavy loss of life, property and crops in Andhra Pradesh, Orissa and some other parts of the country due to recent cyclone, flood and drought and the relief measures taken in regard thereto."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : Hon'ble Members have been apprised from time to time about the situation created by floods/cyclones in different parts of the country. To date, 17 States and two Union Territories, namely, Karnataka, Maharashtra, Meghalaya, Gujarat, Tripura, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Assam, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar, Orissa, Kerala, Sikkim and West Bengal and Pondicherry and Goa were affected by floods and cyclones. Maharashtra and Andhra Pradesh were victims of fury of nature more than once, almost in quick succession during the monsoon period. However, there is no report of cyclone having visited Orissa during the current year.

2. The total cropped area affected is reported to be 76.96 lakh ha. and the total population affected is placed at more than 44.4 million. The total number of human lives lost are reported to be 2077 and the total cattle heads lost are about 1.31 lakh.

[Shri Arif Mohammad Khau]

3. All the States have got Margin Money to meet the emergent expenditure necessitated by natural calamities. Only the States of Karnataka, Maharashtra, Meghalaya, Gujarat, Tripura, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Assam, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Sikkim and U.T. of Pondicherry and Goa approached the Government of India seeking Central assistance.

4. Central Teams have already visited the States of Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Tripura, Andhra Pradesh, Assam, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Sikkim and Pondicherry. A second Central Team shall be going to Maharashtra shortly to assess the damages caused by floods in September,— October, 1983. A Central Team shall also be going to Rajasthan soon. The Union Territory of Goa has been advised to meet the situation from their own resources. The second request of Himachal Pradesh for flood relief was considered in a meeting of Inter-Ministerial Group whose report is under processing.

5. Ceilings of Central assistance amounting to Rs. 105.56 crores have already been sanctioned to 8 States, namely, Himachal Pradesh for damages caused due to heavy rains and snowfall during May-June, 1983, Karnataka, Meghalaya, Gujarat, Tripura, Haryana, Andhra Pradesh for floods during August 83 and Maharashtra against floods in June, July, August '83.

6. The reports of the Central Teams which visited Andhra Pradesh to look into the damages caused by cyclone in October, 1983, floods in Uttar Pradesh, Pondicherry, Assam and Madhya Pradesh are under consideration, Four States, namely, Bihar Orissa, West Bengal and Kerala have not sought any Central assistance for flood relief.

7. Pending the visit of the teams, the States of Maharashtra, Gujarat, Tripura, Andhra Pradesh, Haryana, Uttar Pradesh and Sikkim have been sanctioned Ways and Means advance on *ad hoc* basis to take up emergent relief measures till the time the ceiling of Central assistance is sanctioned.

8. The Prime Minister made an aerial survey of several flood and cyclone affected districts in Andhra Pradesh on 11th October and announced Rs. 10 crores to be sanctioned to the State as Ways and Means advance on *ad hoc* basis. She had earlier visited Gujarat on 27th June and had made an aerial survey of the flood-affected areas. An amount of Rs. 101.12 lakhs has been sanctioned from the Prime Minister's Relief Fund for flood relief to different States.

9. The Monsoon during 1983 has been extremely good and widespread throughout the country except for small pockets in Eastern Uttar Pradesh, parts of Sikkim and Arunachal Pradesh. Memoranda seeking Central assistance for drought relief were received from the Governments of Uttar Pradesh, Sikkim and Arunachal Pradesh. Central Teams have already visited the drought affected areas in Uttar Pradesh and Sikkim and their reports are under processing. Arunachal Pradesh have already been sanctioned a ceiling of Central assistance of Rs. 9 lakhs after consideration of its request in a meeting of Inter-Ministerial Group. There are no reports of drought conditions prevailing in any other part of the country.

10. I wish to record Government's appreciation of the cooperation and valour shown by the Defence Services in providing rescue and relief to the flood affected people.

11. I asure the House that appropriate steps shall be taken to help the States affected by natural calamities.

12.30 hrs.

(MR DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

SHRI KAMALUDDIN AHMED : I respectfully submit that I am not at all

satisfied with the statement made by the hon. Minister, more so because of the conflicting statements made by the State Government and the Chief Minister and the statement made by the Minister. I want a clarification on three points.

(1) There is an allegation that Andhra Pradesh being an opposition-ruled State and Gujarat, being a Congress (I) ruled State, the amount of assistance given to Gujarat runs into hundreds of crores while Andhra Pradesh has got only Rs. 10 crores which was granted by the Prime Minister. This is one thing on which we want to have a clarification. Firstly, is there any discrimination on this basis—the political basis ?

(2) Now that floods and cyclone have become a routine feature every year, have the Government of India evolved any machinery, any system whereby the relief that is going to be extended has to be assessed and what is the machinery to see how much of this relief has been properly utilised ? I am saying this because of this. We are grateful to the Prime Minister that she visited the Andhra Pradesh at the earliest and announced a relief of Rs. 10 crores. Out of this Rs. 10 crores, my district which was badly hit, received a share of Rs. 45 lakhs in the month of October—Warrangal District.

Now, Sir, on 28th of last month we had a Flood Relief Committee meeting headed by the Telugu Desam Minister wherein it was disclosed that not even half of this amount was spent so far. Even the roads which were breached have not been restored so far. I can give a particular instance. There is a road between Village Pedda Mupparam and Dantalpalli which had 12 breaches. These breaches have not been restored so far. I particularly want the Minister to tell us as to what is the machinery to monitor the utilisation of the assistance and whether the State Government is utilising it or not. More so when the hon. Chief Minister of State said that he asked for the assistance from the Central Government but he was not getting it, I want this point to be clarified by the Minister. Secondly, Sir, to our knowledge, soon after the floods took place, the State Government had made a requisition for the Central Team which visited the place. Incidentally, I was also present there and I also accompanied the Central Team. The allocation was made. But, there was a lot of delay in sending that Team and giving the assistance. So, these three points, I may submit have to be clarified. A particularly because when there is calamity and there is agony of the people, this should not be capitalised politically by our Chief Minister. So, on all these three points, I want a specific clarification from the hon. Minister.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : Sir, the allegation that the Central Government discriminates against Governments being run by the Opposition Parties is absolutely baseless and beyond truth. The memorandum was first received from the State government And after receiving the memorandum, a team was sent by the Central Government to make an assessment of the situation and to look into the details which have been submitted earlier by the State Government. Then, the matter was referred to the high level Committee of the Interministerial Group. According to the norms and guidelines set by the Seventh Finance Commission, a decision was taken by that high level committee and then finally the sanction was made by the Ministry of Finance. While taking a decision it has not taken into consideration as to which party is ruling which State. In fact, if we look at the assistance which has been provided by the Central Government to various State Governments, we will find that, for instance, in 1981-1982 for the drought assistance, a highest amount was given to Andhra Pradesh amounting to Rs. 68.77 crores which is a non-Congress (I) Government. Likewise, the West Bengal Government, another non-Congress (I) Government, got Rs. 74.27 crores In the case of Tamilnadu, more than Rs. 31 crores was given for the drinking water alone

[Shri Arif Mohammad Khan]

and that too for the City of Madras while, basically, we are not concerned with that. The relief division of the Ministry of Agriculture is concerned only with providing relief to the agriculturists of the rural areas. But, in the case of Tamilnadu, more than Rs. 31 crores was given for providing drinking water to various areas including the Madras City. So, Sir, this allegation is baseless. This is not true. Government does not make any discrimination. Similarly, it is again not true to say that Government made a very generous sanction in the case of Gujarat. Gujarat received only Rs. 39.22 crores. I do not know where from they got the inflated figure of Rs. 200 or 300 crores. Gujarat got this assistance and that too for the two floods.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Khan, if you also quote the demands made by the respective States and the money sanctioned to them, that would satisfy them.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : Sir, that will not satisfy because the demand which is generally made—whether by Congress (I) government or non-Congress (I) governments—is on the higher side we do not go by the assistance sought by the State Government We go by the norms and guidelines laid down by the Seventh Finance Commission and accepted by the Government. Sir, it is not only Andhra Pradesh which sought assistance Rs. 165 crores. Bihar sought assistance for more than Rs. 74 crores and got only 9.89 crores. So, whether it is drought or flood the assistance sought by the State governments when compared with the final sanction you will find that there is a wide gap and the assistance sought is on the higher side whereas the sanction given by the Central Government is determined by the norms and guidelines set-forth by the Seventh Finance Commission.

Sir, the Agriculture Ministry does not have machinery to monitor the spending of this amount directly but at the time of givining the sanction we certainly take into consideration the assessment which has been sent by the State government district-wise. The officials of the Finance Ministry make use of the assessment reports but it takes time. So, although at the initial stages while giving sanction all these points are taken into consideration yet finally the expenditure rests with the State governments and they have that responsibility. (*Interruptions*)

Sir, I appreciate the concern expressed by the Members especially in the light of what has been stated by the hon. Member that out of Rs. 45 lakhs which was allocated for one particular district only Rs. 20 lakhs have been spent uptil now. But this is the legal and constitutional duty of the State Government. If any specific complaints are made to us then certainly we will look into the same.

SHRI KAMALUDDIN AHMED : I would like to suggest that when the team makes the second visit then they should try to know how much amount has been utilised.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : We will try.

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि कोई डिस्क्रीमिनेशन नहीं है। मैं मंत्री जी के जवाब को गलत तो नहीं कह सकता लेकिन वह कंट्राडिक्टरी है। कर्नाटक के सम्बन्ध में यदि आप प्रश्न देखें तो उसमें सरकार ने कहा है कि कर्नाटक सरकार ने कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया। अतारांकित प्रश्न संख्या-555, दिनांक-18 नवम्बर 1983, यह दूसरी सभा का प्रश्न है, इसमें विभिन्न राज्यों के आंकड़े दिए गए हैं जिसमें मंत्री महोदय ने सात नम्बर पर कर्नाटक के संबंध में कहा है कि वहां बाढ़ से

जो क्षति हुई है उसमें 6.35 लाख जनसंख्या प्रभावित है। उसके बाद क्षतिग्रस्त मकान 2485 है। सम्पत्ति का जो नुकसान हुआ वह 3.83 लाख है। व्यक्ति मरे हैं—13 और पशु –2392। दूसरा प्रश्न श्री बी०वी० देसाई का है। यह अतारांकित प्रश्न संख्या 1025 दिनांक 21 नवम्बर 1983 का है। उसमें इनसे पूछा गया :

Whether the State Government of Karnataka have submitted a supplementary memorandum for seeking assistance... and the answer is 'Yes, Sir'.

एक प्रश्न में आपने कहा है कि कोई ज्ञापन नहीं दिया गया और दूसरे प्रश्न में आप यह भी कबूल करते हैं कि सप्लीमेंटरी ज्ञापन आया है, उसके अनुसार आप कार्यवाही कर रहे हैं। इन दोनों में क्या सही है ? मंत्री जी जब जवाब दें तो इस बारे में अवश्य बताएं। दूसरे सदन में मंत्री महोदय ने 18 नवम्बर 1983 के प्रश्न में बताया था कि केन्द्रीय दल ने 27 अक्टूबर से एक नवम्बर तक दौरा किया। उसमें, इन्होंने यह भी कहा कि उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। उसी प्रश्न संख्या में जिस संबंध में आपने अभी ध्यान आकृष्ट किया है उसमें यह बताया है कि आन्ध्र ने 266.20 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की मांग की थी। अभी कुछ दिन पहले तेलगु देशम के जनरल सेक्रेटरी श्री उपेन्द्रा ने प्रेस कांफ्रेंस करके सरकार के ऊपर एलीगेशन लगाया कि हमारे यहां क्षति हुई है। सरकार हमारे साथ जान-बूझकर पक्षपात कर रही है तथा दस करोड़ अभी तक नहीं दिया है। सरकार डैमोरेरी है वह चाहे तेलुगु देशम, जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी की हो। असल में बात देश के जन-धन की है। 19 राज्यों का विवरण बड़ा हृदय विदारक है। आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ के कारण सार्वजनिक क्षति 4667 लाख रुपए और समुद्री तूफान की वजह से 21628.75 लाख रुपए की क्षति हुई। जहां तक आदमी मरने का सवाल है, आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ के कारण 87 आदमी सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक और समुद्री तूफान से 134 व्यक्ति मरे हैं। उसी प्रकार आसाम में 20 व्यक्ति मरे हैं। वहां जो मकान की क्षति हुई है वह 17 हजार 76 और सार्वजनिक सम्पत्ति की तीन हजार 65 लाख रुपए हुई है। बिहार में 24 हजार 169 मकानों की क्षति हुई है और 6 लोग मरे हैं। गुजरात के आंकड़े यदि आप देखेंगे तो 594 लोग मरे हैं और 83 हजार 768 मवेशी मारे गए हैं और बाढ़ से जो प्रभावित जनसंख्या है वह 39.31 लाख है। हिमाचल, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा सिक्किम सभी हैं जहां धन-जन की क्षति हुई है। भारी संख्या में आदमियों और सम्पत्ति की क्षति हुई है। उस स्थिति में सरकार टैक्नीकैलिटीज में फंस जाती है। आपने कहा है कि यहां से केन्द्रीय दल गया 27 अक्तूबर को और 1 नवम्बर को वहां से आया। यदि सरकार के पास थोड़ा दिल रहता और मानवता की दृष्टि से वह देखती तो राज्य सरकार के ऊपर विश्वास करके उसको उसे रुपया दे देना चाहिये था। यदि राज्य सरकार की रिपोर्ट पर आपको विश्वास नहीं होता तो फिर जो केन्द्रीय टीम गई और जिस ने बहुत गहराई में जा कर अपनी रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को कारंवाई करनी चाहिये थी, उसी की रिपोर्ट के ऊपर आपको सहायता

[श्री राम विलास पासवान]

प्रदान कर देनी चाहिये थी । अब आपने हाई लेवेल सैक्रेटरीज की कमेटी बनाई है । उसकी बैठक कल ही यानी सात दिसम्बर को हुई है । वह सारे मामले को देखेगी । क्या आप देश की जनता को ठगना चाहते हैं, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं । जो पैसा आपको देना है दें क्यों नहीं देते हैं । नहीं देना है तो कह दें कि नहीं देना और कह दें देश के लोगों को कि वे भूखों मरें, पानी में डूब कर मरें, आंधी, तूफान में मरें । लोग पानी में, ठंडक में, लू में मरते हैं, कोई विपदा ऐसी नहीं है जिसमें वे न मरते हों । कहिये लोग इसी तरह से मरते रहें । लेकिन लोगों को ठगने का क्यों आप काम करते हैं । कभी स्टेट की रिपोर्ट लेते हैं, कभी सेन्ट्रल टीम भेजते हैं, फिर उसके ऊपर सैक्रेटरीज की कमेटी बनाते हैं । कुछ दिन के बाद आप चीफ सैक्रेट्रीज की कमेटी बिठाएंगे, फिर कैबिनेट सब कमेटी से रिपोर्ट लेंगे, फिर प्रधान मंत्री की कमेटी बनेगी । जब तक आप रोगी का इलाज करेंगे तब तक तो रोगी ही नहीं रहेगा । आप इलाज किस का करेंगे । मेरा चार्ज है कि आप ठगी करते हैं । गुजरात को आपने पैसा दिया है । यदि आपके पास पैसा है तो और अधिक उसको दें, जितना आप दे सकते हैं दें । एक आदमी को भी आप भूख से मरने न दें । यदि आपके पास पैसे की कमी है तो निश्चित रूप से जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वहां सब से ज्यादा आपको पैसे की व्यवस्था करनी चाहिये । कई राज्यों में पानी की कमी है । बिहार में भी लोग पानी के बगैर मर रहे हैं । आंध्र प्रदेश में विरोधी दल की सरकार है । उसने 266 करोड़ की मांग की है । केन्द्रीय टीम नहीं गई तो राज्य सरकार की रिपोर्ट पर आप अमल करें । मांग होती है 266 करोड़ की, आप देते हैं दस करोड़ । ऐसा करके आप जले पर नमक छिड़कते हैं । मेरा चार्ज है सरकार पर कि वह लोगों की आवश्यकताओं की तरफ से आंखें मूंदे बैठी है शुतुर्मुर्ग के समान । जहां आपने केन्द्रीय टीम नहीं भेजी वहां क्या आप राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर सदन में घोषणा करेंगे कि इतनी राशि आप दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश को इतनी दे रहे हैं, दूसरे प्रान्तों को इतनी दे रहे हैं ?

जब कभी बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है उस स्थिति में क्या आपने कोई नीति बनाई है कि हम इतने दिन के अन्दर उस राज्य को सहायता राशि दे देंगे, इतने दिन में सेन्ट्रल असिस्टेंस दे देंगे ? तूफान आया आज और आप दें तीन साल के बाद तो उसका क्या फायदा । मैं जहां एलीगेशन लगाता हूं वहां चार्ज भी लगाता हूं कि सरकार लोगों की समस्याओं से बिल्कुल चिन्तित नहीं है, लोग मर रहे हैं और मैं सरकार से प्रश्न पूछता हूं कि बताएं कि जहां-जहां केन्द्रीय टीमों ने जाना था वहां-वहां जाकर क्या जांच पूरी कर ली है ? कहां-कहां केन्द्रीय टीम गई है, कितने पैसे की आप से डिमांड की है और कितना पैसा आप राज्यों को देने जा रहे हैं ? और कितने दिनों के अन्दर भुगतान किया जाय जब इस तरह की घटना हो ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय राम विलास पासवान जी ने पता नहीं कहां से सूचना जुटायी कि कर्नाटक के लिए हमने मना किया है ।

SHRI RAM VILAS PASWAN : This is misleading.

MR. DEPUTY SPEAKER : You hear him and then ask for clarification.

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आज जो वक्तव्य पढ़ा है उसके बारे में कह रहा हूं, रोजाना स्थिति बदलती है । कल हाई लेविल कमेटी की मीटिंग हुई है । कल से पहले मुझ से प्रश्न किया होता तो मैं कहता कि उसकी मीटिंग नहीं हुई है । आज प्रश्न करेंगे तो मैं कहूंगा कि उसकी मीटिंग हो चुकी है ।

श्री राम विलास पासवान : आज आपका जवाब था आज क्यों नहीं बताया हाउस को मिसलीड नहीं किया जा सकता है ? लेकिन मंत्री महोदय ने नहीं बताया ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय पासवान जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, मित्र हैं, लेकिन बहुत जोर से बोल कर दूसरे की बात को दबाना चाहते हैं । मेरे वक्तव्य में लिखा हुआ है, अगर उन्होंने वाक आउट न करके वक्तव्य पर ध्यान दिया होता, तो लिखा हुआ है केन्द्रीय दलों ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, त्रिपुरा, आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पांडिचेरी का पहले ही दौरा कर लिया है । मेरे ही वक्तव्य में लिखा हुआ है कि 8 राज्यों को 105.56 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है और उसमें कर्नाटक शामिल है । मैं तो आज के वक्तव्य से संबंधित बता रहा हूं । अगर आपको स्पष्टीकरण पहले किसी प्रश्न के सम्बन्ध में मांगना है तो उसकी अलग से सूचना दीजिये । आज के वक्तव्य से संबंधित स्पष्टीकरण चाहते हैं तो अलग से सूचना देनी होगी ।

आन्ध्र प्रदेश के सम्बन्ध में नमक छिड़क का मामला माननीय पासवान जी कह रहे हैं । सारी समस्या सही है । चाहे बाढ़ का मामला हो, फ्लड कंट्रोल का मामला हो या ऐसे विषय जो संविधान के अनुसार प्रदेश सरकार को करने चाहियें, उसकी जिम्मेदारी केवल प्रदेश सरकार की है । केन्द्र सरकार यह बात ध्यान में रख कर प्रदेश सरकारों को ऐसी दैविक विपदा के समय बाहर से भी उस स्थिति का मुकाबला करने के लिए उन्हें बाहर से भी मदद की जानी चाहिये, यह मान कर इस मानवीय दृष्टिकोण को जहन में रखते हुए हम प्रदेश सरकारों की मदद करने का प्रयास करते हैं । लेकिन मदद नुकसान पूरा करने के लिये नहीं । मदद जो संकट की स्थिति है उसका सामना करने में प्रदेश सरकार की और जो लोग प्रभावी हुए हैं उनकी सहायता करने के उद्देश्य से है । यह हमारी दृष्टि है । खुद पासवान जी ने कहा केन्द्रीय सरकार के पास अगर साधन उपलब्ध हों तो गुजरात को और दें । इसी में सारा उत्तर निहित है । जितने हमारे साधन हैं उनको ही ध्यान में रखते हुए एक प्रक्रिया बनाई गई है, कुछ नोर्म्स बनाये गए हैं और उसके अनुसार ही फैसला किया जाता है । जैसा माननीय पासवान जी ने कहा कि क्या सरकार इसी वक्त घोषणा करेगी, तो यह कोई ढाई दिन की झोंपड़ी नहीं है कि एकदम घोषणा कर दी जाय और सारा फैसला एकदम ले लिया जाय । इसके लिये एक प्रक्रिया है जिसको पूरा करना होता है । यह कोई एक प्रदेश सरकार के मामले में नहीं है, बल्कि सबके लिये है और यह प्रक्रिया पहले से चली आ रही है । माननीय पासवान जी के दल की जब सरकार थी, अगर वह कहें तो आंकड़े दे दूं कि प्रदेश सरकारों के ज्ञापन कब मिले

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

केन्द्रीय सरकार को, और केन्द्र ने अपनी स्वीकृति कब दी। अगर मानवीय दृष्टिकोण ऐसा ही था तो उसको बदलवा देते। लेकिन नहीं उस सरकार ने उसी प्रक्रिया के अनुसार काम किया। कानून की हुकूमत है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इच्छानुसार चेहरे के अनुसार ज्यादा सहायता दे दूं और किसी को कम। मैं पासवान जी से ही नहीं बल्कि मैं श्री राम विलास जी से ही नहीं, वैसे ही आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं कि ऐसे समय जब कि हमारे देश के किसी हिस्से में रहने वाले लोग किसी दैविक बिपदा के कारण संकट का सामना कर रहे हों, तो जरूरत इस बात की है कि हम उनके प्रति सहानुभूति करें और उनकी मदद करने की कोशिश करें, लेकिन उनकी मुसीबत और संकट की तिजारत करें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिये या अपना फायदा उठाने के लिए, या उनकी मुसीबत का इस्तेमाल दूसरों पर इल्जाम लगाने के लिए या अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिये करें, यह सर्वथा अनुचित है, गलत है।

नियत मदद करने की होनी चाहिये, सियासी या राजनीतिक फायदा उठाने की नियत नहीं होनी चाहिये।

श्री राम विलास पासवान : मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैंने सिम्पल क्वेश्चन पूछा है कि केन्द्रीय सरकार ने जो रिपोर्ट दी है, इन्होंने बताया कि 7 तारीख को बैठक हुई है, मैं नहीं जानता कि 7 तारीख को किस चीज की बैठक हुई और किस का हवाला इन्होंने दिया है, इनकी रिपोर्ट में कुछ नहीं है। मैंने कहा था कि 7 तारीख को सेक्रेटरीज की बैठक हुई थी तो मैमोरेंडम में 7 तारीख की बैठक का जिक्र नहीं किया है कि यह बैठक किस चीज की बुलाई? मेरा सीधा सा प्रश्न है कि जब केन्द्रीय टीम जांच करके आ गई तो केन्द्रीय टीम ने क्या सिफारिश की। किन-किन राज्यों में केन्द्रीय टीम गई और क्या रिपोर्ट लाई और राज्यों द्वारा कितना पैसा मांगा गया? यह बाद की बात है कि सरकार पैसा दे या न दे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरा वक्तव्य केवल इसी से संबंधित है कि किन-किन राज्यों का दौरा केन्द्रीय टीम कर चुकी है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं अपना वक्तव्य दोबारा पढ़ सकता हूं।

श्री राम विलास पासवान : क्या कहा है?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : प्रक्रिया का यह हिस्सा है कि केन्द्रीय दल पहले जायेगा। उसके आने के बाद उच्च-स्तरीय समिति की बैठक होगी और वह निर्णय लेगी। प्रदेश सरकारों द्वारा कितनी सहायता मांगी गई है, केन्द्रीय सरकार से अंतिम सहायता क्या दी गई है, खर्चा करने के लिये, यह सूचना हमारे पास है लम्बी सूची है जिसकी सूचना चाहें मैं पढ़ सकता हूं।

श्री राम विलास पासवान : आप आन्ध्र और बिहार को बताइये।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आंध्र का बाढ़ के संबंध में पहले उनका मैमोरेंडम 27 अगस्त को आया, केन्द्रीय दल ने वहां का भ्रमण 20 से 24 सितम्बर तक दिया, हाई

लेवल कमेटी की मीटिंग 26-10-83 को हुई। सेन्ट्रल एसिस्टेंस उन्होंने मांगी 71.51 करोड़ की और उसके बाद 4.38 करोड़ का कर्जा मांगा। जो अंतिम स्वीकृति गई है 25-11-83 को वह 20.54 करोड़ की है।

इसके अतिरिक्त जब दोबारा यहां साइक्लोन आया, चक्रवात आया, बाढ़ आई शायद 4-10-83 को उसका ज्ञापन आया। 22 तारीख को, 5 दिन के अन्दर केन्द्रीय दल को हमने भेजा। हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई केन्द्रीय दल की रिपोर्ट आने के बाद 7 दिसम्बर को। इस संबंध में 10 करोड़ रुपया हम पहले ही अग्रिम, एडवांस दे चुके हैं। इसके संबंध में जब प्रधान मंत्री ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया था, क्योंकि केन्द्रीय सहायता देने में पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगता है, इसलिये प्रधान मंत्री जी ने आदेश दिया कि क्योंकि भीषण बाढ़ आई है, इसलिये 10 करोड़ रुपया फौरी तौर पर भेज दिया जाए।

आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपने ज्ञापन में रिलीफ राहत कार्य के लिए जो राशि की मांग की है वह 8.54 करोड़ या 9 करोड़ से कम है। केन्द्रीय सरकार ने उन्हें 10 करोड़ की राशि अग्रिम राहत के कार्य के लिए दी है।

पूरे जो दूसरे नुकसान होते हैं, उनके लिये जो राशि मांगी गई है, जो फौरी तौर पर राशि की जरूरत होती है, जिसका प्रयोग राहत कार्यों के लिए किया जाना है, उसके लिये अंतिम स्वीकृति देने के पहले ही 10 करोड़ रुपये की प्रधान मंत्री जी के आंध्र प्रदेश के दौरे के समय ही स्वीकृति दी गई जो प्रदेश सरकार को पहुंच चुका है। उसका दूसरा फैसला फाइनल स्टेज में है।

श्री राम विलास पासवान : उसने टोटल कितना मांगा था ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उन्होंने मांगा है 266 करोड़ रुपया।

श्री राम विलास पासवान : कितना देने जा रहे हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह मैं आज नहीं बता सकता। यह मैं तभी बता सकता हूं, जब इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा।

SHRI RAM VILAS PASWAN : What about Bihar ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : बिहार सरकार ने कोई ज्ञापन नहीं दिया है। हर प्रदेश सरकार के बजट में सीमांत राशि—मार्जिनल मनी—का प्रावधान रखा गया है। किसी भी देवी विपदा के समय उस राशि का उपयोग स्थिति से निपटने के लिए किया जा सकता है। बिहार सरकार ने कहा है कि हम हालत का मुकाबला कर रहे हैं, अगर जरूरत हुई, तो हम केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगेंगे। लेकिन उन्होंने कोई सहायता नहीं मांगी है। अगर उनके यहां बाढ़ या कोई अन्य कठिनाई है, तो वे बहुत अच्छी तरह से अपने संसाधनों से उसका मुकाबला कर रहे हैं।

MR. DEPUTY SPEAKER : Now, Shri Ramgopal Reddy.

SHRI M. RAMGOPAL REDDY : It is a very good statement given by the Minister, it is very concise, and brief covering all aspects. Only one thing I want to say He has appreciated the services of the Defence personnel for the valuable work they have done. He should also have mentioned about the Meteorogical Department also. They have been giving warnings in time. Of course, even then our chief Minister had gone to Kashmir to do some lobbying about what should be the relation between the Centre and the States. That is more important to him.

MR. DEPUTY SPEAKER : He also came here to Delhi and met the Prime Minister.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : How, the entire Andhra Pradesh is affected and the damage has been unusual and extensive, especially Telangana area. Myself, Shri Satyanarayan Rao, Mr. G.N. Reddy, Mr. Bhoopathy—We all belong to that area and unfortunately all these constituencies have been badly affected. The Prime Minister has visited some places herself and she has sent her senior colleagues to visit some of the areas. Mr. Vijaya Bhaskara Reddy an all our Congress leaders have visited those places, including my district. The rivers Manjeera, Godavari, Penganga all these rivers were swollen. Even the smallest river was woolen. These swollen rivers engulfed vast areas. It was a sheet of water from Nizamabad to Mancherial including Karimnagar. Karimnagar was cut off from all sides, except one read which connects it to Hyderabad. The roads have been damaged, the bridges were broken, tanks have been breached and unfortunately nothing is being done. My colleague says that an amount of Rs. 45 crores has been spent so far. I do not know where that money has been spent. Nowhere is it seen, including Peddapali, where he and I campaigned during the recent elections. Not anounce of *Moram* (gravel) has been put on the road there, and we did the campaigning from house to house there only recently. In my district near Manjeera, the small small rivers round about Naugampatti nine villages are completely damaged including three or four which also were extensively damaged. That area is usually drought prone area. Unfortunately for the last three or four years the people there have been in trouble, they have been taken loans from the banks and the interest is going on piling up. I want to know from the hon. Minister—I have already written to the Prime Minister and the Finance Minister—if they are going to waive the interest at least to some extent or reduce it so that the people there may be able to repay it later It has risen from 1 per cent to 3 per cent now and the people are not able to pay that interest. I want to know if the hon. Minister is going to intervene and whether he is going to write to the Finance Minister to find out whether they are going to agree to this, When these floods came I was also there. Our Army and Air Headquarters' people were working relentlessly. They were in the rivers saving the lives of the people. Life boats were used. The Collectors of Nizamabad, Hyderabad and Karimnagar had worked very hard. There were two successive cyclones and floods in my district and in Telengana district, which were unprecedented. People are asking with a suspect eye why after the advent of Mr. N T. Rama Rao this is happening.

MR. DEPUTY SPEAKER : You are only complimenting Mr. Rama Rao because rain comes only when good persons come. It is an auspicious occasion. There is a proverb in Tamil that if there is one good person, there will be rain for all the persons in that locality.

(Interruptions)

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : When a man of Chief Minister's stature subjects himself to all kinds of superstitions and goes on changing his dress, specially the sanyasi robes, that is a bad

omen as far as our religion is concerned. Many of our boys in Andhra side are wearing those robes. In Gita it is said that if the water that flows ahead follows, the back water also follows. So also what even the chief man in a State does, it will have tremendous effect on the people. I do not know whether this Government is in a position to advise him or not. *(Interruptions).*

I want to know from the hon. Minister specifically whether any differentiation has been shown between Gujarat and Andhra Pradesh. When were the reports received ? When were the teams sent ? When were the amounts sanctioned ? What is the mechanism in the Ministry to see whether the money has been properly spent ? Though it has been put by my friend, Mr. Kamaluddin, still I am not satisfied with the reply. There must be some mechanism to see how this money is spent ; otherwise, what is the use of claiming Rs. 200 crores or Rs. 300 crores ? *(Interruption)*

1110 electric motors and pumps have been lost. A large number of them have been damaged. Some is the fate of the agricultural wealth. The weavers and fishermen have suffered much. Is the Government of India going to give any direct help to them either from the Prime Minister's Relief Fund or any other fund? Moreover, Pochampad project submerges many villages. Now it is the duty of the Pochampad and Srisailem projects to pay compensation to these people. Many villages have to be shifted from there. Is the Minister going to advise the Irrigation Ministry to shift the villages from that place ? Otherwise there will be a constant danger to the life and property of the people there. Several sheep and cattle has been washed away from my area. My constituency is by the side of Maharashtra. Our people are feeling that they are very very unfortunate because when on the other side of Maharashtra so much is being done, here the fertility of the soil has been washed away. Sand is on the feet. Our people say that they do not mind sand because they can remove it and plant another crop. But what about the fertility of the soil that is washed away. That is very important. So, I would like to know from the Agriculture Minister what are the steps taken by him ? To recoup the fertility of land to that level takes 25 to 50 years, as you know. That is the damage. That damage has not been including in the papers submitted to the Central Government. When the Central team came I was also with them. I had shown to them and they had understood the problem. The problem is how to maintain the fertility of the soil. If the fertility is gone, everything is gone and the land is useless. Whether the Government of Andhra Pradesh has asked for it or not, but I would like to ask the hon. Minister whether he has a proposal to send an agricultural expert to advise the cultivators how to recoup the fertility of the soil ?

SHRI M. SATYANARAYAN RAO (Karimnagar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I am sorry to say that my district is also affected. My name is not there but two things I will say within half-a-minute, I want to know from the hon. Minister whether it is a fact that there was considerable delay on the part of the State Government to send this report that so much damage has occured there and they want their help ? Second thing is that the hon Minister Rao Birendra Singn himself expressed his desire to visit our State, particularly our district but facilities were not provided to him and, in fact, was he prevented by the Government ? These two things I want to know from the hon. Minister ..

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : Sir, I am thankful to the hon. Member Shri Ram Gopal Reddy for drawing attention to the excellent work done by the Meteorological Department and...

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : Why do you worry about it ? Supposing it is a

[Mr. Deputy Speaker]

precedent, it is good for you. Why now itself you are criticising it ?... .

(*Interruptions*)

Then I will tell you, I will give you a reply at that time...

(*Interruptions*)

I have already ruled that any comment or any speech made by the Members other than the four whose names are here will not go on record. I have already given a ruling, why do you worry about it ?

AN HON. MEMBER : Sir, answer also should not be recorded...(*Interruption*) Minister also should not worry about it.

MR. DEPUTY SPEAKER : It is upto him, I cannot ask him to give or not. You and I cannot control the Minister.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : I am thankful to the hon. Member and would like to place on record Government's appreciation for the excellent work done by the Meteorological Department and also by the All India Radio and the Television. The hon. Member wanted to know about converting the short-term loans into long-term loans. The States could get their fifteen per cent share of contribution to NABARD as advance plan assistance. In the earlier sanction for flood, we have given Rs. one crore and whenever requests for conversion of such short-term loans into long-term loans come. most of the time those are favourably considered by the Central Government. If any such request comes from Andhra Pradesh Government, we shall certainly look into it.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO : Suppose it does not come. what will happen then ? As a representative of the State here, we are requesting. Suppose that government is not going to make such request, then we are going to suffer (*Interruption*).

MR. DEPUTY SPEAKER : There is a procedure and a principle between two governments. Therefore, you cannot say that it should be accepted. There is a procedure...

(*Interruption*)

They will follow the rules.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : We will certainly take note of the suggestions made by the hon. Members but wherever the subject falls exclusively under the domain of the State Government, it becomes difficult for the Central Government to act suo moto. All the points raised by the hon. Members, including loss of pumps, motors, collapse of irrigation facilities...(*Interruption*).

MR. DEPUTY SPEAKER : He wanted some agricultural expert to be sent from Delhi to remove the sand.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : Every State Government has a full-fledged Agriculture Department and complete paraphernalia to look after these problems. In case they seek the assistance of the Central Government, we shall certainly send experts and whatever assistance they seek from the Central Government.

The hon. Member mentioned about shifting of certain villagers. The Irrigation Ministry in the Central Government does not deal directly with the people. This work will have to be undertaken by the State Government. But I have taken note of the point mentioned by the hon. member.

SHRI M. SATYANARAYANA RAO : Sir, what about my question ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : He can reply to the main question. Le' us not create any precedent.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : Well, replying to Shri Ram Gopal Reddy, as I have said in my statement, the floods in Andhra Pradesh came on the 4th October. The memorandum was received by the Central Government on the 22nd October. After five days we despatched the team to Andhra Pradesh. It was there for five days and it submitted its report, which was considered at the higher level. I can only supply facts about the dates. I am not making any comment.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा देश के कुछ अन्य भागों में चक्रवात, बाढ़ तथा सूखे से जानोमाल की जो हानि हुई है उसके संबंध में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, उसी के सम्बन्ध में मैं भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं।

जब मैंने अगस्त, 1982 में उड़ीसा के साइक्लोन के संबंध में प्रश्न उठाया था उस समय भी मैंने जानकारी चाही थी और मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि वहां स्टडी टीम भेजी जाती है जो अपनी रिपोर्ट पेश करती है। यहां आप ने बताया कि ता० 22 को आंध्र के बारे में रिपोर्ट आई और ता० 27 को आप की टीम वहां चली गई लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि फैमीन एफेक्टेड एरियाज में, जैसे राजस्थान और दूसरे प्रांतों में इस स्टडी टीम के जाने में काफी विलम्ब होता है, करीब करीब एक महीना लगा देते हैं। इस लिये स्टडी टीम के लिये भी कोई टाइम फिक्स किया जाना चाहिए कि जब रिपोर्ट प्रस्तुत हो तो इतने दिनों के अन्दर फैमीन इफेक्टेड प्रांतों में आप की टीम रवाना हो जाएगी। क्योंकि स्टडी टीम के जाने के बाद यह मामला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास आता है, उस के बाद फाइनेन्स में जाता है, डिपार्टमेंट आफ प्लानिंग में जाता है, उस के बाद हाई-पावर्ड कमेटी के पास जाता है। मैं चाहता हूं कि इन सब के लिये कोई समय निर्धारित किया जाना चाहिये। आप ने जनता पार्टी के बारे में बतला दिया कि उन्होंने यह कदम विलम्ब से उठाया, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिये। हमें टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम बना कर काम करना चाहिये, हाई-लेविल कमेटी की मीटिंग जल्दी बुला कर, चाहे इस की अध्यक्षता फाइनेन्स मिनिस्टर करते हो या प्लानिंग मिनिस्टर करते हों जल्दी से जल्दी इस काम को करना चाहिये, अन्यथा मदद समय पर नहीं पहुंच पाती है। यह ठीक है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर जी ने जब वहां विजिट किया, तो आप ने 10 करोड़ रु० की व्यवस्था कर दी परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि फैमिन एफेक्टेड और फ्लड एफेक्टेड एरियाज में आप एक पर्मानेन्ट तरीके की व्यवस्था क्यों नहीं करते क्योंकि देर से सहायता देने में बहुत सारी डिफीकल्टीज वहां के लोगों के सामने आती हैं। राजस्थान जैसे प्रांत में किस प्रकार से फैमिन आते हैं, यह आप जानते ही हैं। आप क्यों नहीं पहले से नार्म्स और टाइम फिक्स कर देते हैं। इस मामले में पहले से एक्टिव होना चाहिए ताकि लोगों को सहायता समय से मिल सके क्योंकि देरी करने से उन लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इस के बारे में आप को एक नीति निर्धारित करनी चाहिए। आप ने पहले इस के बारे में आश्वासन दिया था लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यान्वयन नहीं हो रहा है।

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

दूसरा प्रश्न मैं यह करना चाहता हूं और पहले भी मैंने यह प्रश्न किया था कि जो फैमिन एफेक्टेड या फ्लड एफेक्टेड एरियाज है, वहां पर जो वर्क्स होते हैं और उन पर जो राशि खर्च होती है, ठीक से खर्च नहीं होती है। यह मेरा अनुभव है। जब भी ऐसा होता है, तो आप की तरफ से उन वर्क्स की मानीटरिंग होनी चाहिए। आप की स्टडी टीम को उन जगहों पर जा कर देखना चाहिए कि उन वर्क्स का कार्य किस प्रकार से चल रहा है और ठीक ढंग से वे कार्य कर रहे हैं या नहीं। जो लोग उन में काम करते हैं, वे इन्ट्रेस्ट नहीं लेते हैं और जो भी राशि उन वर्क्स पर खर्च होती है, वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की होती है। केन्द्रीय सरकार का पैसा खर्च होता है लेकिन उस का सही उपयोग नहीं होता है। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में अपना कर्त्तव्य अदा नहीं करती है और मेरा कहना यह है कि केन्द्रीय सरकार को अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। आज आंध्र में हो या कहीं भी हो, केन्द्र सरकार को यह देखना चाहिए कि ये जो वर्क्स चल रहे हैं, वे ठीक चल रहे हैं या नहीं और जो पैसा आप के यहां से दिया गया है, उस का सही उपयोग हो रहा हैं या नहीं।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि फ्लड के अन्दर जिन की मृत्यु हो जाती है, उन की जो आप मदद करते हैं, वह सिर्फ 1500 रु० की है जो कि बहुत ही कम है। अगर रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस के लिए 50 हजार से 1 लाख रुपया कर दिया गया है। इसलिए अगर फ्लड और फेमिन से डेथ होती है, उस के लिए आप को जो पैसा बढ़ाना चाहिए और इस को बढ़ा कर आप को 10 हजार या 20 हजार रु० करना चाहिए। जिस परिवार का आदमी मर जाता है, उस परिवार को कितना बड़ा सदमा पहुंचता है और उस के लिए आप सिर्फ 1500 रु० की मदद देते हैं। यह बहुत ही अपर्याप्त है। इसी तरह से मकानों के लिए जो आप मदद करते हैं, वह बहुत कम है। अगर सारा मकान डेमेज हो जाता है, तो सिर्फ 500 रु० की मदद करते हैं, जोकि बिल्कुल अपर्याप्त है। आज के जमाने में 500 रु० में क्या होता है। ये जो नार्म्स हैं, ये 15 वर्ष पहले फिक्स हुए थे और इन को चेन्ज करना चाहिए। आज कीमतें तब के मुकाबले में 10 गुना बढ़ गई हैं। इस रकम को बढ़ा कर आप को 5 हजार रुपये करना चाहिए। इसी तरह से जो मकान पार्शली डेमेज होते हैं, उन के लिए आप 200 रुपये देते हैं। आज 200 रुपये की क्या वैल्यू है। इस से उस की कोई मदद नहीं मिलती है। इस को बढ़ा कर आपको 1000 रुपये करना चाहिए और जिस प्रकार का नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से मदद देनी चाहिए और नये नार्म्स फिक्स करने चाहिए।

एक और बात यह कहना चाहता हूं कि फ्लड्स के अन्दर खेत बह जाते हैं, या उन का कटाव हो गया या वे बिल्कुल नष्ट हो गये। जब खेत नष्ट हो जाते हैं, तो किसान की रोजी खत्म हो गई और काश्त करने के लायक उस के पास कुछ नहीं रहा। आप उस को कुछ कम्पेंसेशन तो देते हैं लेकिन वह बहुत मीगर देते हैं। आप यह देखिये कि आज जमीन की मार्केट वेल्यू क्या है। उस को अपना खेत छोड़ना पड़ता है, तो फिर कहीं जा कर

वह जमीन नहीं ले सकता। कुछ ऐसे स्थान हैं, जो लो-लाइंग एरियाज हैं। वहां पर तो डेफनीटली बाढ़ आती है। मेरा कहना यह है कि इन लो-लाइंग एरियाज में लोग क्यों रहें। उन के लिए आप पर्मनिन्ट व्यवस्था कीजिए और उन को दूसरी जगहों पर बसाने के लिए व्यवस्था कीजिए ताकि वे वहां पर न रहे। हर साल बाढ़ आती है और आप को उन के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। आप उन को वहां से हटाने के लिए पर्मनिन्ट व्यवस्था कीजिए।

फ्लड कंट्रोल के लिए आप ने छठी पंच-वर्षीय योजना में 1045 करोड़ रुपये का प्रावीजन किया है। उस में से 1980-81 के अन्दर पर्मानेन्ट फ्लड कंट्रोल के लिए आप ने 150 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। आपने 1981-82 में 164 करोड़ और 1982-83 में 154 करोड़ रुपये खर्च किये इस प्रकार से आपने फ्लड कंट्रोल के लिए आधे से ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं किया। फ्लड कंट्रोल के लिए अगर पूरा पैसा खर्च हो जाता तो भी कुछ व्यवस्था हो जाती। अभी आपको 250 करोड़ रुपया और खर्च करना है। इसको आप दो वर्षों में कैसे खर्च कर पायेंगे। आप फ्लड कंट्रोल के परमानेंट सोल्युशन में विशेष दिलचस्पी लें। फैमीन के पर्मनिन्ट सोल्युशन में भी दिलचस्पी लें। आप लगातार फ्लड के लिए खर्च करते जा रहे हैं. इससे इसका कोई पर्मनिन्ट सोल्युशन नही निकाल पा रहा है। जब तक आपका पर्मनिन्ट सोल्युशन नहीं होगा तब तक कोई व्यवस्था ठीक से चलने वाली नहीं है।

अब प्रश्न यह उठता है कि जो फ्लड आते हैं इनका मुकाबला अच्छी प्रकार से कैसे किया जाए। किसी राज्य सरकार की क्षमता में फ्लड का मुकाबला करना नहीं है। अगर केन्द्रीय सरकार मदद न करे तो फ्लड कंट्रोल का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमारी राजस्थान सरकार फैमीन का मुकाबला नहीं कर सकती है। आंध्र में इतने भयंकर फ्लड आते हैं, साइक्लोन आते हैं। आंध्र सरकार की क्षमता नहीं है कि वह उनका मुकाबला कर सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार का मजबूत होना आवश्यक है। कोई भी राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए केन्द्र का मजबूत रहना आवश्यक है।

मेरा कहना यह भी है कि इस समस्या को हल करने के लिए एक नेशनल केलेमिटीज फण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। आपके जो स्टेट और सेंट्रल के टेक्सिज हैं उनमें से एक नेशनल केलेमिटीज फण्ड की व्यवस्था करें तब जाकर इन केलेमिटीज का मुकाबला आसानी से किया जा सकता है। नहीं तो हमें हमेशा ही अलग अलग ढंग से व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए एक नेशनल केलेमिटीज फण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए।

यह जो मारजिनल मनी का अमाऊंट है यह बहुत ही कम है। हमारे राजस्थान के अन्दर 1-4-79 में 10.19 करोड़ रुपया मारजिनल मनी के लिए रखा गया था जिसकी सातवें फाइनेंस कमीशन ने सिफारिश की थी। उसको घटा दिया गया है। हमारे यहां हर साल अकाल पड़ता है। वहां अकाल की समस्या से निपटने के लिए यह व्यवस्था होनी चाहिये। इस साल तो राजस्थान में अच्छी फसल हुई है लेकिन फिर भी बाड़मेर

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

जिले के अन्दर अभी भी कुछ इलाकों में अकाल की स्थिति हैं। इसलिए उसके लिए सहायता दी जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो प्रश्न पूछे हैं, आप उनका उत्तर देंगे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उसका विषय बहुत सीमित है। यह राहत कार्यों से संबंधित है। जो लम्बी योजनाएं हैं या जिनके बारे में स्थायी प्रबंध किया जाना है, वह निश्चित ही किया जाता है। उनके लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श कर के योजनाएं बनाई जाती हैं और उन्हें पूरा किया जाता है। बाढ़ नियंत्रण के लिए केन्द्र का सिंचाई विभाग प्रदेश सरकारों को अलग से मदद देता है। लेकिन इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सम्बन्ध केवल राहत कार्यों से है। जब कोई देवी विपदा आ जाती है तो उस समय संकट का सामना करने के लिए किस तरह से सहायता की जाए, उससे यह संबंधित है।

मैंने यह नहीं कहा था कि जनता पार्टी की सरकार ने सहायता करने में विलंब किया था। मैंने यह कहा था कि उस जमाने में भी ज्ञापन मिलने की तिथि और केन्द्र द्वारा सहायता देने की तिथि का अगर अध्ययन किया जाए तो उससे पता लगेगा कि यह पूरी प्रक्रिया ऐसी है जिसमें कि समय लगता है। हमें राज्य सरकार से ज्ञापन मिल गया है। वहां केन्द्रीय सरकार अध्ययन दल भेजना चाहती है। लेकिन प्रदेश सरकार यह कहती है कि हमारे अधिकारी बाढ़ से निपटने में लगे हुए है, इसलिए हम केन्द्रीय दल का ध्यान नहीं रख पायेंगे। इसलिए हमसे कह दिया है कि अभी देर से आइये। ये उनकी ही मांग है केन्द्र सरकार से कि आप फौरी तौर पर अध्ययन दल मत भेजिए।

पिछले सालों में क्या क्या देविक विपत्तियां आई हैं और कितने प्रदेश सरकार ने राहत कार्य किये हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए सातवें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार हर प्रदेश के बजट में मार्जिन मनी रखी गई है। कोई भी दैविक विपदा होने पर उस मार्जिन मनी की मदद से प्रदेश सरकार... ।

PROF. N. G. RANGA (Guntur) : It is all repetition ; You have said it several times. What we want to know is : Why was there so much delay on the Part of the Government of India ? Andhra State goes on complaining that you have been too slow.

MR. DEPUTY SPEAKER : He has given the dates and all that. He has already replied to that. There is no end to complaining. There will always be a complaint.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : The complaint is not based on facts; it is not well-founded.

यह कहना कि देर हुई है, सही नहीं है। इतनी देर साधारणतः लगती है। इसके अलावा अग्रिम राशि के रूप में 10 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश को दिया था।

प्रभावित लोगों को दी जाने वाली सहायता के बारे में माननीय सदस्य श्री वृद्धिचन्द्र जैन जी ने पूछा है। जैसा कि पहले

बताया है कि सहायता का आधार वित्त आयोग द्वारा दी गई संस्तुतियां हैं। आठवां वित्त आयोग बन चुका है। माननीय सदस्य के सुझाव नोट कर लिए गए हैं। अगर मुनासिब होगा तो परिवर्तन करने के लिए इन सुझावों को वहां भिजवाएंगे।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty five minutes past fourteen of the clock.

———

(*The Lok Sabha reassembled after lunch at forty minutes past Fourteen of the clock.*)

(SHRI R.S. SPARROW *in the Chair*)

12.45 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need for remedial measures to control the disease in cotton crop under Tungbhadra Project command area

SHRI DARUR PULLAIAH (Anantapur): Sir, I would like to bring the plight of the cotton growers under Tungabhadra Project to the notice of the hon. Minister for Agriculture.

Cotton crop, grow in an area of one lakh hectares under Tungabhadra Project command area in Anantapur, Kurnool District, in Andhra Pradesh and Bellary area and Raichur District in Karnataka, is threatened with wilt disease resulting in the death of cotton plants of mature age. 30 per cent of the crop has been completly damaged in spite of the intensive use of pesticides. In view of the fact that the disease is not controlled, the cotton-growers are worried about the remaining crop and the future of the crop in the coming years.

I request the hon. Minister for Agriculture to send the scientists to the area to find out the remedial measures and to take necessary steps in the matter.

(ii) Need for removing the deficiencies shortcomings in the development programme for hilly and backward areas

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी गढ़वाल) : सभापति महोदय, भारत सरकार उत्तर प्रदेश के पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्र के लिए अलग से अनुदान देती है। मैं भारत सरकार का ध्यान उत्तरांचल में चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों की कमियों की ओर दिलाना चाहता हूं—

1. पीने के पानी की 90 प्रतिशत से ज्यादा स्कीमों पर पानी गायब है।

2. बिजली लोगों को मिलती नहीं, परंतु उसके पैसे लिये जाते हैं।

3. स्कूलों में अध्यापकों की 40 प्रतिशत की कमी है, ट्रेंड लड़के बेकार हैं। इमारतें 80 प्रतिशत से ज्यादा खराब हैं, टाट-पट्टी फर्नीचर गायब है।

4. सिंचाई के लिए नगर से पानी मिलता नहीं, लगान वसूल किया जा रहा है।

5. अस्पतालों में 60 प्रतिशत से ज्यादा डाक्टर व कर्मचारी नहीं हैं, दवाइयां लापता हैं।

6. प्रदूषण रहित उद्योग गैस, इलैक्ट्रानिक्स और घड़ी बनाने के कारखाने नहीं खोले जा रहे हैं। इसके विपरीत धुआं और क्षार पैदा करने